



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17012023-242019
CG-DL-E-17012023-242019

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]

No. 33]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 16, 2023/पौष 26, 1944

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 16, 2023/PAUSHA 26, 1944

पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2022

सं. एनईआईजीआर-ई.III/5/2022—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग में चिकित्सा अधिकारी (ट्रांसफ्यूजन व ब्लड बैंक) एवं कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (ट्रांसफ्यूजन व ब्लड बैंक) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग ग्रुप 'ए' पद भर्ती संशोधन नियम, 2022 है।
(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. पद की संख्या, वर्गीकरण व वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों की उपबंध अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएँ आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता - वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहाँ केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति या पद की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।
6. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
चिकित्सा अधिकारी (ट्रांसफ्यूजन व ब्लड बैंक)	01* (2022) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	समूह 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 11	लागू नहीं	45 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिचीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
1. किसी मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में 2 साल के अनुभव के साथ एमडी पैथोलॉजी / ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। अथवा किसी मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में 2 साल के अनुभव व पैथोलॉजी या ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में डिप्लोमा के साथ एमबीबीएस। 2. राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना अनिवार्य है।	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो साल	समग्र पद्धति (प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति) द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति: केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों/स्वायत्त संगठनों/ सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी- 1 मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करना, अथवा 2. मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -10 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा के साथ और कॉलम 7 के तहत निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखना। नोट -1 : विभागीय कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (ट्रांसफ्यूजन व ब्लड बैंक) का पे मैट्रिक्स के

				<p>स्तर -- 10 में 5 साल की नियमित सेवा के साथ भी प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जाएगा और यदि उसका चयन किया जाता है तो माना जाएगा कि उस पद को पदोन्नति द्वारा भरा गया है।</p> <p>नोट 2 : केंद्र सरकार के समान या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति की प्रक्रिया के तुरंत बाद आयोजित एक अन्य पूर्व-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	--	--	--

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
<p>1. निदेशक, नीग्रिम्स - अध्यक्ष</p> <p>2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव - सदस्य</p> <p>3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं) - सदस्य</p> <p>4. संबंधित विषय का विशेषज्ञ - सदस्य*</p> <p>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य</p> <p>6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स - सदस्य सचिव</p> <p>(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</p>	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (ट्रांसफ्यूजन व ब्लड बैंक)	01* (2022) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	समूह 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 10	लागू नहीं	40 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
1. किसी मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में 1 साल के अनुभव के साथ एमडी पैथोलॉजी / ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। अथवा किसी मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में 1 साल का अनुभव व पैथोलॉजी या ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में डिप्लोमा के साथ एमबीबीएस। 2. राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना अनिवार्य।	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो साल	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
1. निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष 2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव – सदस्य 3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं) – सदस्य 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ – सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य 6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	लागू नहीं

प्रो. नलिन मेहता, निदेशक, नीग्रिम्स
[विज्ञापन-III/4/असा./529/2022-23]

**NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES,
SHILLONG**

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2022

No. NEIGR-E.III/5/2022—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Medical Officer (Transfusion and Blood Bank) and Junior Medical Officer (Transfusion and Blood Bank)**, North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong, namely:-

- Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong Group – A posts Recruitment amendment Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in Pay Matrix** – The number of the said post, its classification and level in the Pay Matrix attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification** – No person,
 (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:
 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule
5. **Power to Relax** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Ministry of Health & Family Welfare, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.
6. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservation relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen, Persons with Disabilities and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Medical Officer (Transfusion and Blood Bank)	01* (2022) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level 11 of Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 45 years (Relaxable for Government servants' upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made
7	8	9	10	11
1. MD Pathology/ Transfusion Medicine with two years' experience in a recognized Blood Bank. OR MBBS with Diploma in Pathology or Transfusion Medicine with three years' experience in a recognized Blood Bank. 2. Must be registered with State Medical Council.	Not applicable	Two years for direct recruit	By Composite Method (Deputation/Promotion) failing which by Direct Recruitment	Deputation/Promotion: Officers of the Central Government/ State Government / Union Territories/ Autonomous Organizations / Statutory Bodies/ Public Sector Undertaking 1. Holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre/department; or 2. With five years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level – 10 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/ department and

				<p>possessing educational qualification and experience prescribed under column 7.</p> <p>Note 1: The Departmental Junior Medical Officer (Transfusion and Blood Bank) in Level – 10 of the Pay Matrix with five years' regular service in the grade shall also be considered alongwith the deputationist and in case he or she is selected the post shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications</p>
--	--	--	--	---

If a Selection Committee / Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
<ol style="list-style-type: none"> 1. Director, NEIGRIHMS 2. Director/Deputy Secretary looking after the work of the Institute in the Ministry 3. Representative of North Eastern Council (NEC) Shillong (not below the rank of Deputy Secretary) 4. An expert in the relevant subject 5. A co-opted member from SCs/STs 6. Deputy Director (Admn) NEIGRIHMS (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS) 	<p>- Chairperson</p> <p>- Member</p> <p>- Member</p> <p>- Member*</p> <p>- Member</p> <p>- Member Secretary</p> <p>Not applicable</p>

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Junior Medical Officer (Transfusion and Blood Bank)	01* (2022) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level 10 of Pay Matrix	Not Applicable	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government servants' upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
1. MD Pathology/ Transfusion Medicine with one year's experience in a recognized Blood Bank OR MBBS with Diploma in Pathology or Transfusion Medicine with one year's experience in a recognized Blood Bank 2. Must be registered with State Medical Council	Not applicable	Two years for direct recruit	By Direct Recruitment	Not applicable

If a Selection Committee / Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson 2. Director/Deputy Secretary looking after the work of the Institute in the Ministry - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC) - Member Shillong (not below the rank of Deputy Secretary) 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A co-opted member from SCs/STs - Member 6. Deputy Director (Admn) NEIGRIHMS - Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Prof. NALIN MEHTA, Director, NEIGRIHMS

[ADVT.-III/4/Ext./529/2022-23]